संख्या :295 /XVII–02 / 2010–376(स0क0) / 2002

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–02

देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2010

विषयः–अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में दम्पत्तियों को पुरूस्कार दिये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2776 / स0क0 / अ0ज0अ0धार्मिक वि0प्रो0पु0 / 2009–10 दिनांक 09 नवम्बर, 2009, पत्रांक–2959 / स0क0 / अ0ज0अ0धार्मिक वि0प्रो0पु0 / 2009–10 दिनांक 24 नवम्बर, 2009 एवं पत्रांक–4259 / / स0क0 / अ0ज0अ0धार्मिक वि0प्रो0पु0 / 2009–10 दिनांक 06 मार्च, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2 / 7 / 73 रा0एकी0 दिनांक 16 जुलाई, 1976 तथा समय–समय पर संशोधित नियमावली के नियमों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित 23 दम्पतियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह पुरूस्कार दिये जाने हेतु रु0 2.30 लाख (रूपये दो लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. अन्तर्जातीय विवाह के अन्तर्गत एक पक्ष अनुसूचित जाति का तथा अन्तर्धार्मिक विवाह के अन्तर्गत दोनों पक्ष भिन्न–भिन्न धर्म के होने आवश्यक हैं तथा यह प्रोत्साहन पुरूस्कार केवल एक बार ही अनुमन्य होगा।

2. पुरूस्कार प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पति में से किसी सदस्य द्वारा पृथकीकरण, विवाह विच्छेद या विवाह विघटन कर लेने पर दम्पति पुरूस्कार की सम्पूर्ण धनराशि सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होंगे और यह भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय होगी।

यदि बिना किसी न्याय संगत कारण के और विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पति के वैवाहिक सम्बन्ध टूट जाते हैं तो तदोपरान्त पुरूस्कार की सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय हो जायेगी।

4. पुरूस्कार की धनराशि रु0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से अनुमन्य होगी।

5. उक्त धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेगें। जिलाधिकारी सम्बन्धित दम्पतियों का सत्यापन करके पुरूस्कार वितरण सामूहिक रूप से सभारोहपूर्वक करेंगे।

6. अन्तर्धार्मिक विवाह के मामलों में शर्त यह होगी कि अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा।

7. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 800–अन्य व्यय 05–अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (आयोजनेत्तर) के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 548(NP)XXVII(3)09–10 दिनांक 29 मार्च 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–295 /XVII–02/2010–376(स0क0)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. कोषाधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

1/1

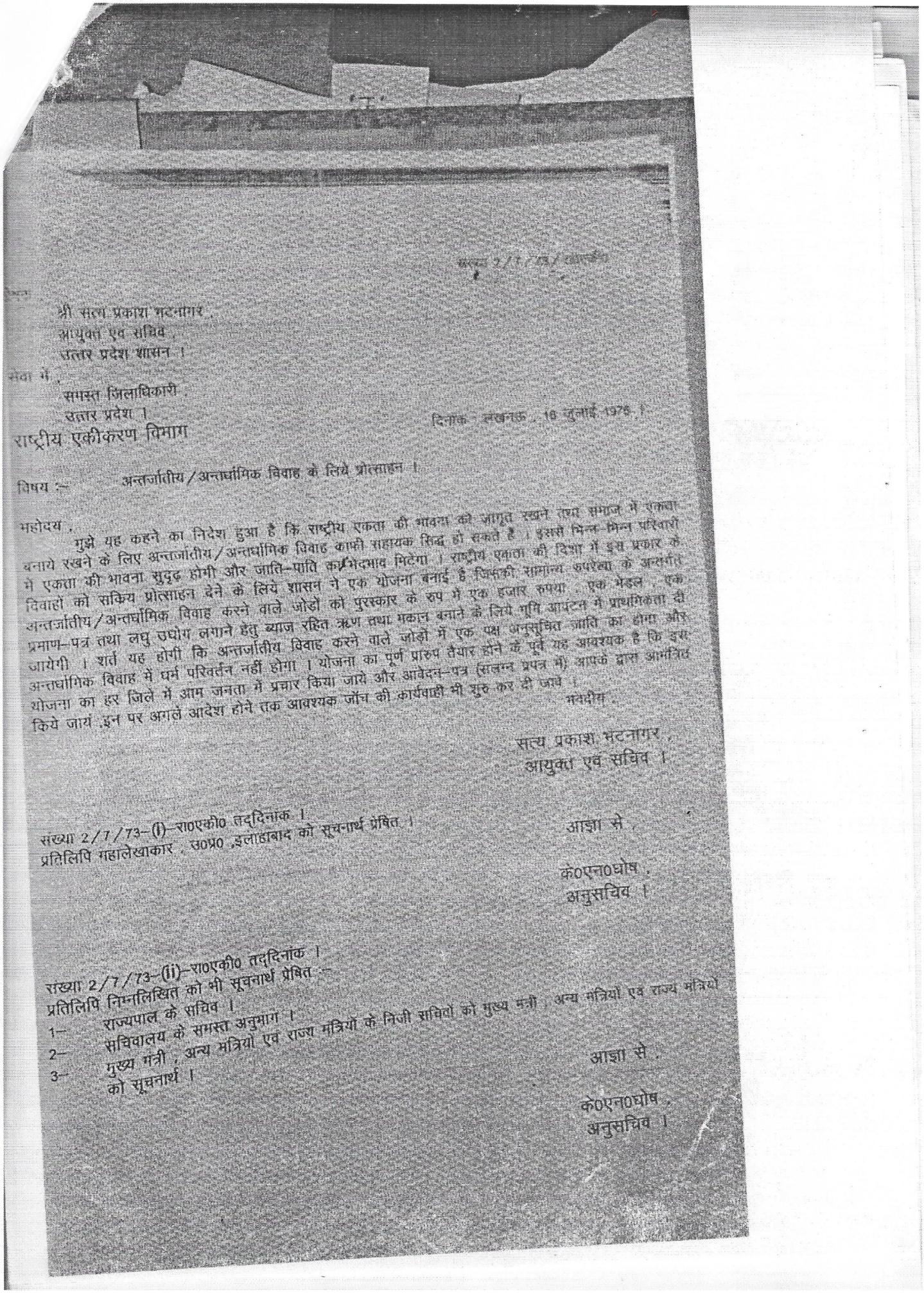

संख्या 2/7/73-

श्री सत्य प्रकाश भटनागर ,
आयुक्त एवं सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में ,
समस्त जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

दिनांक लखनऊ , 10 जुलाई 1973 ।

विषय :— अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये प्रोत्साहन ।

महोदय ,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने तथा समाज में एकता बनाये रखने के लिए अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं । इससे भिन्न-भिन्न परिवारों में एकता की भावना सुदृढ़ होगी और जाति-पाति का भेदभाव मिटेगा । राष्ट्रीय एकता की दिशा में इस प्रकार के विवाहों को सक्रिय प्रोत्साहन देने के लिये शासन ने एक योजना बनाई है जिसकी सामान्य रूपरेखा के अन्तर्गत अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को पुरस्कार के रूप में एक हजार रुपया , एक मेडल , एक प्रमाण-पत्र तथा लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज रहित ऋण तथा मकान बनाने के लिये गृह आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी । शर्त यह होगी कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होगा और अन्तर्धार्मिक विवाह में धर्म परिवर्तन नहीं होगा । योजना का पूर्ण प्रारुप तैयार होने के पूर्व यह आवश्यक है कि इस योजना का हर जिले में आम जनता में प्रचार किया जाये और आवेदन-पत्र (संलग्न प्रपत्र में) आपके द्वारा आमंत्रित किये जायं ,इन पर अगले आदेश होने तक आवश्यक जाँच की कार्यवाही भी शुरु कर दी जाये ।

भवदीय ,

सत्य प्रकाश भटनागर ,
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या 2/7/73-(i)-रा0एकी0 तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि महालेखाकार , उ0प्र0 ,इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से ,

के0एन0घोष ,
अनुसचिव ।

संख्या 2/7/73-(ii)-रा0एकी0 तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :—
1— राज्यपाल के सचिव ।
2— सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3— मुख्य मंत्री , अन्य मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को मुख्य मन्त्री , अन्य मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को सूचनार्थ ।

आज्ञा से ,

के0एन0घोष ,
अनुसचिव ।